भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 7

जिसका उत्तर, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

पीएसबी ईएएसई कार्यक्रम

7. श्री के॰ षणमुग सुंदरमः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पीएसबी और निजी बैंकों के लिए एक समान कार्य समय अपनाने के लिए एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम (ई॰ए॰एस॰ई॰) 2.0 के तहत पीएसबी के लिए सुधार एजेंडा के तहत आईबीए को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बैंकों के अलग-अलग समय-निर्धारण की सिफारिश करने वाला कोई बैंकर पैनल प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बैंकों के लिए काम के घंटों में भिन्नता अपनाने के लिए ग्राहकों के हितों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): सरकार ने बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सुधार एजेंडा की घोषणा की थी। इस संबंध में चर्चा के दौरान ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंकिंग के मुद्दे को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ समय-समय पर उठाया जाता है।

एक समान बैंक कार्यावधि के संबंध में भारतीय बैंक संघ ने अवगत कराया है कि संघ की उप समिति ने यह सिफारिश की है कि लीड जिला प्रबंधक (अध्यक्ष, प्रखंड स्तरीय बैंकर समिति), जिला परामर्श समिति (डीसीसी) के साथ सम्यक समन्वय कर संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजकों को डीसीसी की सीमा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले समय को कार्यान्वित करने की सिफारिश कर सकता है। संघ ने सदस्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच इस सिफारिश को परिचालित कर दिया है।

*****